

**ग्राम पंचायत पल्हौटा, विकास खण्ड सुंदरनगर, जिला मंडी के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17**

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पल्हौटा, विकास खण्ड सुंदरनगर, जिला मंडी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती दया देवी	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमती सीता कुमारी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री कमलेश कुमार	01.04.14 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत पल्हौटा, विकास खण्ड सुंदरनगर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर पाया जाना	0.38
2.	5	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.59
3.	6	अनुदान का उपयोग न करना	15.37
4.	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	5.85

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत पल्हौटा, विकास खण्ड सुंदरनगर, जिला मंडी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी एवं श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.02.18 से 13.02.2018 तक ग्राम

पंचायत कार्यालय में किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03/2015	09/2014
2015-16	03/2016	01/2016
2016-17	03/2017	01/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत पल्हौटा, विकास खण्ड सुंदरनगर, जिला मंडी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि.प्र.) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 02 दिनांक 13.02.18 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत पल्हौटा, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत पल्हौटा, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	294206	67825	362031	23726	338305
2015-16	338305	66200	404505	21473	383032
2016-17	383032	82456	465488	26537	438951

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत पल्हौटा, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	632990	1373975	2006965	1335983	670982
2015-16	670982	4760711.69	5431693.69	3964039.69	1467654
2016-17	1467654	4014345.84	5481999.84	3944537	1537462.84

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्रोत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹438951

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹1537462.84

स्व स्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹1976413.84

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹2014544.84

परिशिष्ट संख्या (2)

अन्तर : ₹ 38131

बैंक खाता संख्या	राशि
3250100149	1420457.84
3250100167	590215.00
1025104000008167	3872.00
कुल योग	₹2014544.84

- 4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.38 लाख का अन्तर:-

पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है, जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹38131 का अन्तर पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 01 दिनांक 06.02.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो स्थिति स्पष्ट की गई और न ही बैंक खातों तथा रोकड़ बहियों के अंत शेष का मिलान किया गया। अतः बैंक खातों तथा रोकड़ बहियों का मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

- 5 पंचायत राजस्व ₹0.59 लाख की वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्वः स्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹58950 शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

गृहकर :

परिशिष्ट-3)

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	-	26610	26610	10440	16170
2015-16	16170	26610	42780	10440	32340
2016-17	32340	26610	58950	-	58950

- 6 अनुदान ₹15.37 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1537462 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदान की राशि को विहित

अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.03 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि नीचे दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹2984 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र. सं	वाउचर/ माह	विवरण	बिल स./ दिनांक	राशि	अंकेक्षण आपति
1.	181 माह 01/16	सेनीटेशन सामग्री का क्रय	769 dt. 22.06.15	1517	भाव दरे नही ली गयी
2.	182 माह 01/16	-do-	773 dt. 22.06.15	1467	-do-
कुल योग				₹2984	

8 ₹5.85 लाख की क्रय मदों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई मदों के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत द्वारा भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे क्रय मदों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-4 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹584840 की क्रय की गई मदों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई मदों का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 तकनीकी सहायक को ₹578 का अधिक भुगतान :-

अभिलेख की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यो पर तकनीकी सहायक को देय निर्माण कार्य की कुल लागत के 2% कमीशन, से अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली तकनीकी सहायक से कर के पंचायत निधि में जमा कराई जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

वा सं/माह	कार्य का नाम	कार्य की लागत	भुगतान की गई राशि	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
10 माह 09/14	हरिजन बस्ती में सराय का निर्माण	56120	1500	1122	378
169 माह 01/17	तमरोह से निचला पडसाडा सम्पर्क मार्ग	40000	1000	800	200
कुल योग				₹578	

10 ईंटों के क्रय पर ₹500 का अधिक भुगतान:-

वाउचर संख्या 171 माह 01/2017 की जाँच करने पर पाया गया कि मैसर्ज पॉल इंडस्ट्रीज से 5000 ईंटों का क्रय, उनके द्वारा दी गई भाव दर ₹6.00 प्रति ईंट के स्थान पर, ₹6.10 पैसे पर किया गया, जिससे इस आपूर्तिकार को कुल ₹500 का अधिक भुगतान हुआ जिसका विवरण निम्न है। इस अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली उचित स्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तथा इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वाउचर स./माह	बिल स./ दिनांक	विवरण	भुगतान की गयी राशि	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
171 माह 01/17	1332 dt.16.01.17	निर्माण सामग्री (5000 ईंटों का क्रय)	30500	30000	500

11 JCB मशीन द्वारा सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य में अनियमितताएँ:-

चयनित माह 01/16 के व्ययों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नवर्णित मामलों में JCB मशीन द्वारा सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया गया परन्तु बिलों में न तो कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका में की गई प्रविष्टि का उल्लेख किया गया और न ही सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण में उपलब्ध कराई गई तथा इन बिलों पर नियमानुसार आयकर/ सेवा कर, के लिए कटौती भी नहीं की गई। अतः इन बिलों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं को जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में ऐसे बिलों पर नियमानुसार आयकर/ सेवाकर की कटौती भी सुनिश्चित की जाये।

क्र. सं.	वा0संख्या/माह	कार्य का नाम	भुगतान का विवरण	राशि
01.	180 माह 01/16	अप्पर पड़साला से लोअर पड़साला सम्पर्क मार्ग का कार्य	5.50 घंटे का ₹800 की दर से JCB का किराया	4400
02.	180(1) माह 01/16	सेरड से नाल तक सम्पर्क मार्ग का कार्य	19.50 घंटे का ₹800 की दर से JCB का किराया	15600
03.	193 माह 01/16	देवालय से खू-नाला सम्पर्क मार्ग का कार्य	20 घंटे का ₹800 की दर से JCB का किराया	16000

12 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :- हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों /

अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/ अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

16 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(xi) 56/2018 खण्ड-1-4110-4113 दिनांक 04.06.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत पल्हौटा, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0।
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

हस्ता/-
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620046